निगरानी प्रकरण/3037/2014

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क /2014 नि0 R-3037-I/14

1 महाराज सिंह पुत्र श्री छुटकन सिंह आयु 75 वर्ष व्यवसाय पेंशनर

2 गोविन्द सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह आयु 42 वर्ष व्यवसाय कृषि जाति ठाकुर

निवासीगण ग्राम महुआ तहसील लहार जिला भिण्ड म0प्र0

---प्रार्थीगण

बनाम

म0प्र0 शासन.

--- प्रतिप्रार्थी

O.P. Sharma Adv. 9.9.2014

<u>प्रार्थना पत्र निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लहार आदेश दिनांक 10.06.2014 में पारित प्रकरण कमांक 163/13-14 बी 121 , अंतर्गत धारा 50 एवं 8 म0प्र0 भूराजस्व संहिता</u>

श्रीमानजी,

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तु है:-

1 यहकि श्रीमान शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर श्रीमान एस.डी.ओ लहार में विचारण न्यायालय तहसीलदार लहार को धारा 248 के प्रकरण प्रारम्भ किये जाने हेतु भेजा परंतु विचारण न्यायालय तहसीलदार लहार ने प्रार्थीगण को न तो कोई सूचना पत्र जारी किया और ना ही श्रीमान एस.डी.ओ की ओर से ही शिकायत पर कोई सूचना जारी हुई। संहिता में निहित विधि एवं प्रकिया का पालन किये बिना अवैधानिक एवं अनुचित कार्यवाही किये जाने से पारित आदेश प्रारम्भ से ही व्यर्थ शून्य है।

कमशः 02

XXIX(a)-BR(H)-11

504

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3037-एक/14 **जिला** - भिण्ड

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ.पी. शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	